अनुबंध-I

सत्यनिष्ठा समझौता

जबकि हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ("एचएएल"), जिसका पंजीकृत कार्यालय है, 15/1, कब्बन रोड, बेंगलूर- 560001, भारत, जो अपने प्रभागों के माध्यम से कार्य निर्वाह करता है, महाप्रबंधक / अधिशासी निदेशक इसके प्रतिनिधि हैं और जिसे क्रेता एवं प्रथम पक्ष के रूप में संदर्भित किया गया है, एतदद्वारा खरीदने (उपकरण जैसे विमान के पुर्जे / उड्डयानिकी की मदें / उपसाधन आदि के नाम अथवा श्रेणी) का प्रस्ताव करता है जिसे भण्डार कहा जाएगा।

और

सर्वश्री ……………………………………… , मुख्य अधिशासी अधिकारी ……………………………… जिसके प्रतिनिधि हैं (जिसके संदर्भ में, जब तक कि संविदा द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित न किया जाए, इसके उत्तराधिकारी और इसके समनुदेशिती को इसमें शामिल किया जाएगा), को इसके उपरांत बिडर / विक्रेता और दूसरे पक्ष के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिन्होंने भण्डार के प्रस्ताव की इच्छा व्यक्त की है / प्रस्तावित किया है।

2. जबकि बिडर / विक्रेता एक निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/ साझेदारी वाली कम्पनी / पंजीकृत निर्यात अभिकरण है, जिसे इस मामले में प्रासंगिक विधि के अनुसार गठित किया गया है और क्रेता एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और यह कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है।

3. उद्देशिका

क्रेता ने निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत निविदाएँ आमंत्रित की हैं और ………………………... की आपूर्ति / खरीद / आदि के लिए संविदा / संविदाएँ करने का इच्छुक है और बिडर / विक्रेता अनेक बिडरों / मालिकाना विक्रेता / ग्राहक नामित स्रोत / लाइसेंसर में से एक है जिसने इस प्रकार की निविदा प्रक्रिया में बिड / आपूर्ति की इच्छा व्यक्त की है। क्रेता अपने बिडर(रों) और / या विक्रता(ओं) के साथ संबंधों में देश के कानून, नियमों, विनियमों, संसाधनों के मितव्ययी उपयोग और निष्पक्षता / पारदर्शिता के विषय में पूर्ण अनुपालन को महत्त्व देता है।

इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए क्रेता केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके स्वतंत्र बाहरी मानीटर(रों) (आईईएम) की नियुक्ति करेगा, जो ऊपर उल्लिखित सिद्धांतों के लिए निविदा प्रक्रिया तथा संविदा के निष्पादन का अनुश्रवण करेंगे।

4. क्रेता की वचनबद्धताएँ

4.1 क्रेता भ्रष्टाचार को रोकने एवं निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए समस्त आवश्यक उपायों के प्रति वचनबद्ध है:-

i) क्रेता का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से अथवा परिवार के सदस्यों के माध्यम से निविदा के संबंध में या संविदा के निष्पादन के विषय में स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी भौतिक या अभौतिक लाभ के लिए न तो माँग करेगा या स्वीकार करेगा

ii) क्रेता निविदा प्रक्रिया के दौरान समस्त बिडर(रों) / विक्रेता(ओं) को समान समझेगा। क्रेता विशेष रूप से निविदा प्रक्रिया से पहले और इसके दौरान समस्त बिडर(रों) / विक्रेता(ओं) को समान सूचना प्रदान करेगा और किसी भी बिडर(रों) / विक्रेता(ओं) को गोपनीय / अतिरिक्त सूचना नहीं देगा, जिसके माध्यम से बिडर(रों) / विक्रेता(ओं) प्रक्रिया अथवा संविदा के निष्पादन के पक्ष में कोई लाभ प्राप्त कर सकें।

iii) क्रेता इस प्रक्रिया से समस्त ज्ञात पूर्वाग्रही व्यक्तियों को बाहर रखेगा।

4.2 यदि क्रेता को अपने किसी कर्मचारी के आचरण के विषय में ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध है अथवा इस संबंध में कोई ठोस संदेह है, तो क्रेता अपने मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अलावा अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है।

5. बिडर(रों) / विक्रेता(ओं) की वचनबद्धताएँ

5.1 बिडर(रों) / विक्रेता(ओं) भ्रष्टाचार रोकने के लिए स्वयं आवश्यक उपाय करेगा। निविदा प्रक्रिया में अपनी सहभागिता और संविदा के निष्पादन के दौरान वह निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए स्वयं वचनबद्ध है:

i) निविदा के दौरान अथवा अर्हता प्रक्रिया के दौरान या संविदा के निष्पादन के समय बदले में कोई लाभ लेने की दृष्टि से बिडर(रों) / विक्रेता(ओं) प्रत्यक्ष अथवा किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान के माध्यम से क्रेता के किसी कर्मचारी, जो निविदा प्रक्रिया में अथवा संविदा के निष्पादन में शामिल हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कोई सामग्री या अन्य लाभ देने का प्रस्ताव नहीं करेगा जिसके लिए वह कानूनी रूप से पात्र नहीं है।

ii) बिडर(रों) / विक्रेता(ओं)औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप में किसी अन्य बिडरों / विक्रेताओं के साथ, कोई अप्रकट करार अथवा समझौता नहीं करेगा। यह विशेष रूप से ऐसे मूल्यों, विनिर्देशनों, प्रमाणनों, सहायक संविदाओं, बिडों के प्रस्तुतीकरण या अप्रस्तुतीकरण अथवा किन्हीं अन्य कार्यों पर लागू होता है जो प्रतिस्पर्धा को बाधित करता हो अथवा बिडिंग प्रक्रिया में उत्पादक संघ के प्रवेश को बढ़ावा देता हो।

iii) बिडर(रों) / विक्रेता(ओं) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अधीन कोई अपराध नहीं करेगा: इसके साथ – साथ बिडर(रों) / विक्रेता(ओं) अनुचित रूप से प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ पाने के उद्देश्य से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी सूचना या दस्तावेज का उपयोग नहीं करेगा जिसे क्रेता द्वारा योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यापारिक विवरणों के संबंध में तथा उसमें उल्लिखित सूचना या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित सूचना प्रदान की गई हो।

5.2 बिडर(रों) / विक्रेता(ओं) उपरोक्त रेखांकित अपराधों अथवा ऐसे अपराधों से संबंधित कार्यों को अंजाम देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नहीं उकसाएगा।

6. पूर्व-उल्लंघन

6.1 बिडर / विक्रेता यह घोषणा करेगा कि भ्रष्टाचार विरोधी मामलों के अनुरूप विगत तीन वर्षों के दौरान किसी भी देश में, किसी भी कम्पनी में अथवा भारत में किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ कोई पूर्व-उल्लंघन नहीं हुआ है जो निविदा प्रक्रिया से बिडर / विक्रेता को बाहर रखने के औचित्य को ठहरा सके।

6.2 यदि बिडर / विक्रेता इस विषय पर गलत बयान देता है तो उसे निविदा अवार्ड किए जाने पर भी निविदा प्रक्रिया या संविदा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है और इसे क्रेता पर बगैर किसी दायित्व के समाप्त किया जा सकता है।

7. कम्पनी की आचार संहिता

बिडरों / विक्रेताओं को कम्पनी की आचार संहिता (जिसमें स्पष्ट रूप से घूस और अन्य अनैतिक व्यवहारों के प्रयोग को नकारा गया है) और कम्पनीभर में आचार संहिता के कार्यान्वयन हेतु अनुपालन कार्यक्रम रखने की सलाह दी जाती है।

8. उल्लंघन पर प्रतिबंध (बिडरों / विक्रेताओं द्वारा उल्लंघन पर निविदा प्रक्रिया से अयोग्य होना और भावी संविदाओं से बहिष्कृत रहना तथा आपराधिक आरोप)

8.1 यदि बिडर(रों) / विक्रेता(ओं) ने अवार्ड से पहले अथवा निष्पादन के दौरान उपरोक्त खण्ड 5 के उल्लंघन के जरिए कोई उल्लंघन किया है अथवा अपने भरोसे या विश्वसनीयता को किसी भी प्रकार से संदेहास्पद बनाया है तो क्रेता निविदा प्रक्रिया से बिडर(रों) / विक्रेता(ओं) को अयोग्य ठहराने अथवा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करने का हकदार है:

i) निविदा प्रक्रिया से बिडर / विक्रेता को अयोग्य ठहराना

ii) क्रेता द्वारा किसी भी बिड में पॉच वर्ष की अवधि तक बिडर / विक्रेता को भाग लेने से रोकना

iii) यदि संविदा पर हस्ताक्षर हो चुके हैं /संविदा अवार्ड कर दी गई है तो क्रेता पर बगैर किसी देयता के संविदा को तत्काल समाप्त करना और बिडर / विक्रेता से नुकसान की, यदि कोई हो, भरपाई कराना। तथापि संविदा समाप्त होने की तारीख तक की गई आपूर्तियों के लिए बिडर / विक्रेता को देय वैध भुगतान सामान्य ढंग से किया जाएगा।

iv) अग्रिम जमा धनराशि / अग्रिम बैंक गारंटी / निष्पादन बांड / वारंटी बांड, जिसे बिडर / विक्रेता द्वारा जमा किया गया हो, को आपूर्ति न किए गए सामान की सीमा तक नकद कराना।

8.2 यदि क्रेता को बिडर / विक्रेता अथवा उसके किसी कर्मचारी या किसी प्रतिनिधि या उसके सहयोगी के भ्रष्टाचार आचरण की जानकारी होती है अथवा यदि क्रेता को इस संबंध में कोई ठोस संदेह उत्पन्न होता है तो क्रेता अपने मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा।

9. नुकसान की प्रतिपूर्ति

9.1 यदि क्रेता ने खण्ड 8 के अनुसार संविदा के अवार्ड से पहले बिडर(रों) / विक्रेता(ओं) को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य करार दिया हो, तो क्रेता क्षतिपूर्ति की मांग करने का पात्र होगा जो खुली निविदा के मामले में अग्रिम जमा धनराशि के बराबर होगी।

9.2 यदि क्रेता ने खण्ड 8 के अनुसार संविदा को निरस्त कर दिया हो अथवा यदि क्रेता खण्ड 8 के अनुसार संविदा को निरस्त करने का हकदार हो, तो क्रेता अनापूर्त सामान के लिए उसके द्वारा किए गए भुगतानों की वसूली हेतु बिडर / विक्रेता द्वारा भरे गए अग्रिम बैंक गारंटी और निष्पादन बांड / वारंटी बांड को नकद कराने का हकदार होगा।

10. स्वतंत्र बाहरी अनुश्रवण

10.1 क्रेता केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके स्वतंत्र बाहरी अनुश्रवणकर्ता की नियुक्ति करेगा (आरएफक्यू में अनुश्रवणकर्ताओं के नाम और पते दिए जाने चाहिए)।

10.2 सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर होने के उपरांत क्रेता द्वारा स्वतंत्र बाहरी अनुश्रवणकर्ताओं को मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ इसकी प्रति प्रदान की जाएगी।

10.3 यदि बिडर / विक्रेता यह आवश्यक समझे तो स्वतंत्र बाहरी अनुश्रवणकर्ताओं को बिड के संदर्भ में यथा प्रासंगिक कोई सूचना दे सकते हैं।

10.4 यदि खरीद के मामले में क्रेता को सत्यनिष्ठा समझौते के उल्लंघन के मामले में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो क्रेता स्वतंत्र बाहरी अनुश्रवणकर्ता को उनकी टिप्पणी/जॉच के लिए शिकायत भेजेगा।

10.5 यदि स्वतंत्र बाहरी अनुश्रवणकर्ताओं को क्रेता द्वारा उन्हें प्रेषित शिकायत के संबंध में क्रेता के अभिलेखों के अवलोकन करने की आवश्यकता पड़ती है तो क्रेता स्वतंत्र बाहरी अनुश्रवणकर्ताओं द्वारा अभिलेखों के ऐसे अवलोकन हेतु व्यवस्था करेगा।

10.6 स्वतंत्र बाहरी अनुश्रवणकर्ताओं द्वारा की गई जॉच की रिपोर्ट को इस समझौता के प्रावधान के अनुसार, मामले में अंतिम और समुचित निर्णय लेने हेतु इसे अध्यक्ष, एचएएल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

11. विधि एवं न्याय क्षेत्र का स्थान

यह समझौता भारतीय विधि के अधीन है। इसके निष्पादन और न्याय क्षेत्र का स्थान बेंगलूर है।

12. अन्य कानूनी कार्रवाई

इस सत्यनिष्ठा समझौता में निर्धारित कार्रवाइयाँ किसी अन्य कानूनी कार्रवाई को प्रभावित नहीं करतीं जो किसी सिविल अथवा आपराधिक कार्यवाहियों के संबंध में लागू वर्तमान नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है।

13. समझौते की अवधि

13.1 इस समझौते का प्रारंभ दोनों पक्षों द्वारा कानूनीतौर पर दस्तखत किए जाने के उपरांत होगा। यह सफल बिडर/विक्रेता के लिए संविदा के अंतर्गत आखिरी भुगतान के बाद दस महीने में समाप्त होगा और अन्य बिडरों/विक्रेताओं के लिए आदेश देने की तारीख / संविदा को अंतिम रूप दिए जाने के छः माह के भीतर समाप्त होगा।

13.2 यदि इस अवधि के भीतर कोई दावा किया जाता है, तो यह बाध्यकारी होगा और इस समझौते के समाप्त होने के बावजूद मान्य बना रहेगा, जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट किया गया है, जब तक कि अध्यक्ष एचएएल द्वारा इसका निरसन / अभिपुष्टि न की जाए।

13.3 यदि इस समझौते का कोई एक अथवा कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं तो इस समझौते का शेष भाग मान्य बना रहेगा। इस मामले में पक्ष अपने मूल आशयों के संबंध में समझौता करने का प्रयास करेंगे।

14. अन्य प्रावधान

14.1 इस संबंध में परिवर्तन और पूरक लिखित रूप में होने चाहिए। इसमें कोई अन्य व्यवस्था नहीं की गई है।

14.2 यदि विक्रेता ने अपनी किसी संविदा के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ किसी सत्यनिष्ठा समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर किया हो, तो इसे प्रकट किया जाएगा तथा उसके द्वारा एचएएल के साथ भी उसी आरूप में सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएँगे।

14.3 इस समझौते की प्रकृति को देखते हुए, इसे किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त नहीं किया जाएगा और यह अपनी कथित अवधि तक बना रहेगा।

14.4 इस समझौते में उल्लिखित किसी भी बात का यह आशय नहीं होगा कि बिडर /विक्रेता को निविदा प्रक्रिया में किसी प्रकार की सफलता अथवा अन्यथा स्थिति का आश्वासन दिया जाता है।

15. चूँकि इस सत्यनिष्ठा समझौते पर मात्र एचएएल के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं और इसलिए रक्षा मंत्रालय अथवा किसी अन्य संगठन के साथ सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर के लिए इसे नज़ीर के रूप में नहीं माना जाएगा।

16. इस सत्यनिष्ठा समझौते पर पक्षों द्वारा दिनांक ………………को ………………पर हस्ताक्षर किए गए।

क्रेता	बिडर / विक्रेता
महाप्रबंधक	मुख्य अधिशासी अधिकारी
हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड	
………… प्रभाग	
साक्षी	साक्षी
1. ____________________	**1.** ____________________
____________________	____________________
2. ____________________	**2.** ____________________
____________________	____________________